

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक:18-08-2026

क्रमांक ESTB-2396/2026-GAD-2:राज्य शासन एतद् द्वारा श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999), प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अति. प्रभार प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2/ सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मंत्रालय पदस्थ करता है।

3/ श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

4/ श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ करता है।

5/ श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. (2011), अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 154/CGH/2026-P.Admn, दिनांक 11.08.2026 द्वारा श्री संदिपान को प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के संबंध में सहमति प्रदान की गई है।

श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री इप्पफत आरा, भा.प्र.से. (2012), विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम केवल प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

6/ श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. (2011), संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

/2/

श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर मो० कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अति. प्रभार मिशन संचालक, जल जीवन मिशन केवल मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

7/ श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, समाज कल्याण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है।

8/ श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

9/ श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-मुंगेली को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कांकेर के पद पर पदस्थ करता है।

10/ श्री अमृत विकास तोपनो, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-सक्ती को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है।

11/ श्रीमती जयश्री जैन, भा.प्र.से. (2016), संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ करता है।

12/ श्रीमती तुलिका प्रजापति, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-मोहला- मानपुर - अम्बागढ़ चौकी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कबीरधाम के पद पर पदस्थ करता है।

13/ श्री भगवान सिंह उइके, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-गरियाबंद को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

14/ श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, भा.प्र.से. (2016), संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

15/ श्री गोपाल वर्मा, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-कबीरधाम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

16/ श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वासि विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

/3/

17/ सुश्री तनुजा सलाम, भा.प्र.से. (2019), संचालक, खेल एवं युवा कल्याण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मोहला- मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के पद पर पदस्थ करता है।

18/ सुश्री रोमा श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2020), उप सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है।

19/ सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो, भा.प्र.से. (2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

20/ सुश्री लीना कोसम, भा.प्र.से. (2020), परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है।

21/ श्री सौमिल रंजन चौबे, भा.प्र.से. (2021) उप सचिव, कृषि विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, पर्यटन मण्डल के पद पर पदस्थ करता है।

श्री सौमिल रंजन चौबे, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, पर्यटन मण्डल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, पर्यटन मण्डल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

22/ श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, भा.प्र.से. (2021), अपर कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।

23/ श्री विवेक आचार्य, भा.व.से. (2006), प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल की सेवायें उनके पैतृक विभाग (वन विभाग) को तत्काल प्रभाव से वापस लौटाई जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रजत कुमार)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. ESTB-2396/2026-GAD-2:

नवा रायपुर, दिनांक: 18-08-2026

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली,

/4/

2. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
 3. अनुसंधान अधिकारी (कैरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
 4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 5. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 7. सचिव, माननीय राज्यपाल, लोकभवन, रायपुर,
 8. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन/नगरीय प्रशासन एवं विकास/योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/खेल एवं युवा कल्याण/कृषि/वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम/पर्यटन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
 10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर ,
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
 12. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग, छत्तीसगढ़,
 13. आयुक्त, जनसंपर्क,
 14. संचालक/प्रबंध संचालक/मिशन संचालक, जल जीवन मिशन/नगरीय प्रशासन एवं विकास/समाज कल्याण/आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम/खेल एवं युवा कल्याण/पर्यटन मण्डल/
 15. कलेक्टर, जिला-दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/गरियाबंद/कांकेर/मुंगेली/सक्ती/कबीरधाम/ मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी/नारायणपुर (छ.ग.),
 16. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग,
 17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा/नारायणपुर,
 18. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
 19. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 20. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन (कक्ष-1/स्था./अधी.)/गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 20. संबंधित अधिकारीगण/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
 21. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 22. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती कोषालय/जिला कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर/रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/गरियाबंद/कांकेर/मुंगेली/सक्ती/कबीरधाम/मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी/नारायणपुर
 23. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग